

उल्लंघन पत्र

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज अजम/531/क्वार्टर-फेल्सपार-477

अजमेर दिनांक- 2/8/2013

प्रेषित श्रीमति मंजु लता तोमर पत्नी श्री हेमंत सिंह तोमर
194, मीर शाह अली कॉलोनी के पीछे, इंद्रा कॉलोनी,
अजमेर- 305001

विषय: राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी लिडी क्वार्टर फेल्सपार खान 4.8 हेक्टर ML -16/08
में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का
उल्लंघन (खान कोड संख्या 22RAJ01633)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25/7/2013 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज
संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved mining plan dated 8/3/2009 to the extent given below.
- a) Waste material has been dumped near lease boundary line AD instead of proposed location between grid W-0 to W-100 and N-0 to N35 on yearwise plan and section plate no-5.
- b) As per para 13.3 (VI) of approved plan, it was proposed to plants 50 saplings each year but the scheme has not been implemented.
- 45(5)(B) Annual return of the Mines for the year 2011-12 and 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July in prescribed format.
- 45(5)(A) Monthly returns of the Mines for the year 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 10th of each month in prescribed format.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक